गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं0—292/2 राजस्व ग्राम, मोरटा, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 7969.00 वर्गमी0 भूमि पर मैं, एच0के0एस0, कैपिटल एण्ड फाईनेन्स प्रा0 लि0 द्वारा होटल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डवलपमेन्ट प्लान—2021 जोन—1 के अनुसार खसरा सं0—292/2 का भू—उपयोग 45.0मी0 चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार के उपरान्त शेष भाग आवासीय भू—उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0—1120/8—3—16—28 विविध,/16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, लखनऊ दिनांक 29.12.16 के अनुसार आवासीय भू—उपयोग के अन्तर्गत होटल क्रिया सामान्यतः अनुमन्य है। इस निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति,/सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा0वि0प्रा0 के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति,/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : **helplinegda@gmail.com**, f : **@ Gda Ghaziabad** : **@ gdagzb**

हेल्पलाईन **0120-6110 433**, व्हाट्सएपः **9990988004** वेबसाईटः **www.gdaghaziabad.in**

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प